न्यायालय सं0–2

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः– मा0 श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासकीय)

निर्देश याचिका संख्या–1650 / 2021

हबीब उल्ला, आयु लगभग 59 वर्ष, पुत्र स्व0 तबारक उल्ला खान, निवासी ग्राम धारौली (मधूपुर) पुलिस स्टेशन कोहदौर, जनपद प्रतापगढ़, वर्तमान तैनाती उप निरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर।

.....याची

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, चित्रकूट परिक्षेत्र, बांदा।
4. पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट।

..... विपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–
शफ़त उल्ला खाँ, अधिवक्ता.....(याची)
विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी.....(विपक्षीगण)

निर्णय

द्वारा माननीय श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासकीय)

याची द्वारा यह याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत परिनिन्दा संबधी दण्डादेश दिनांकित 16.09.2020 (संलग्नक–3), अपीलीय आदेश दिनांकित 03.01.2021 (संलग्नक–2) एवं पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 19.06.2021 (संलग्नक–1) को अपास्त किये जाने के अनुतोष हेतु योजित की गयी है।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची सीधी भर्ती के द्वारा आरक्षी के पद पर दिनांक 30.07.1981 को चयनित हुआ था। तत्पश्चात् वह मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नत हुआ तथा वर्ष 2017 में उपनिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर में नियुक्त हुआ। याची जब जनपद चित्रकूट में नियुक्त था तो उसे पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा दिनांक 18.08.2020 को इस आशय की कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी किः–

"वर्ष 2020 में जब याची प्रभारी आर0टी0सी0 के पद पर पुलिस लाइन्स चित्रकूट में नियुक्त था तो दिनांक 13.03.2020 को मेरे द्वारा पुलिस लाइन्स का वार्षिक निरीक्षण के दौरान आर0टी0सी0 कार्यालय का भ्रमण किया गया एवं मु0आ0 मोमिन अली से कार्यालय के कार्य के बारे में जानकारी की गई तो उनके द्वारा कार्य की जानकारी देने में असमर्थता जताई। दिनांक 09.03.20 के बाद जी0डी0 न चलती हुई तथा बाक्स में पाई गई जबकि होली अवकाश के बाद रिक्रूट आरक्षियों एवं प्रशिक्षकों की आमद दोपहर 12.00 बजे तक करनी चाहिए थी परन्तु किसी की आमद नहीं किया जाना पाया गया। उपरोक्त संबध में आपका स्पष्टीकरण मेरे द्वारा मांगा गया तो आप द्वारा अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया एवं मु0आ0 मोमिन अली का सवाल जवाब लिया गया। आप द्वारा कार्यालय कार्यों की समीक्षा न करने एवं शिथिल पर्यवेक्षण से यह स्थिति उत्पन्न हुई। प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जांच कराई गई तो आपको दोषी पाया गया। आपका यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य के प्रति शिथिलता को प्रदर्शित करता है।

याची द्वारा दिनांक 31.08.2020 को अपना विस्तृत जवाब आरोप से इंकार करते हुए प्रस्तुत किया गया लेकिन दण्डाधिकारी द्वारा याची के स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये ही उसे संतोषजनक न पाते हुए दिनांक 16.09.2020 को परिनिन्दा संबधी दण्डादेश पारित कर दिया गया। याची द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश के विरूद्ध विभागीय अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना विचार किये सरसरी तौर पर अपने आदेश दिनांक 03.01.2021 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात् याची द्वारा अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गयी जिसे पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.06. 2021 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

3. याची के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित **राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार राज्य व अन्य एससीसी (एल एण्ड एस) 679, यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर व अन्य (1973) एससीसी 836, जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 2010–2, एससीसी 497 एवं यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम जे0 अहमद 1979(1) एस. एल.आर. 840** में प्रतिपादित विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयीं जिनका अनुपालन याची के प्रकरण में दण्डाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। तदनुसार याची द्वारा याचिका योजित कर स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

4. याची द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश, अपीलीय आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश को अपास्त कर याचिका को स्वीकार किये जाने हेतु निम्न आधार प्रस्तुत किये गये हैंः–

1. याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश, अपीलीय आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश पूरी तरह अवैध एवं मनमाना है।
2. विपक्षीगण द्वारा याची के स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया जिसमें उसने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि विपक्षी सं0 4 द्वारा घोषित छुट्टियों के कारण स्वयं और पूरा स्टाफ छुट्टी पर था इसलिए जीडी में प्रविष्टि नहीं की गई थी।
3. जांच अधिकारी/क्षेत्राधिकारी ने मामले की ठीक से जांच किए बिना ही जांच रिपोर्ट दाखिल कर याची को गलत तरीके से दोषी ठहराया है।

5. प्रतिपक्षीगण की तरफ से लिखित कथन/प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया है जिसमें याची द्वारा दण्डादेश, अपीलीय आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश को निरस्त किये जाने की याचना निराधार एवं आधारहीन तथ्यों किया जाना कहा गया है। याची की वर्ष 2020 में मु0आ0 आर0टी0सी0 कार्यालय में नियुक्ति के दौरान दिनांक 13.03.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा पुलिस लाइन्स का वार्षिक निरीक्षण किया गया जिसके दौरान आर0टी0सी0 कार्यालय के कार्य के बारे में जानकारी की गई तो याची द्वारा जानकारी देने में असमर्थता जताई गई। याची द्वारा दिनांक 09.03.2020 के बाद जी0डी0 में रिक्रूट आरक्षियों एवं प्रशिक्षकों की आमद भी नहीं की गई जिसके लिए याची को दोषी पाते हुए प्रकरण की प्रारम्भिक जांच कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की जांच संपादित करते हुए अपनी जांच आख्या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जांच आख्या पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त याची को बचाव का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम–14(2) के अन्तर्गत दिनांक 18.08.2020 को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया। याची द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति दिनांक 27.08.2020 को प्राप्त कर अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा याची से प्राप्त लिखित स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त उसे संतोषजनक न पाते हुए सकारण दण्डादेश दिनांक 16.09.2020 पारित कर याची को परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है। याची द्वारा दण्डादेश के विरूद्ध योजित अपील एवं पुनरीक्षण याचिका को क्रमशः अपीलीय अधिकारी एवं पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए क्रमशः सकारण

आदेश दिनांक 03.01.2021 एवं 19.06.2021 के माध्यम से अस्वीकार/निरस्त कर दिया गया है जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है। याची द्वारा निराधार तथ्यों के आधार पर याचिका योजित की गयी है जो पोषणीय न होने के कारण सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

6. याची की ओर से लिखित कथन के विरूद्व प्रत्योत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया है तथा लिखित कथन में किये गये कथनों का खण्डन किया गया है।

7. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का विधिवत् अवलोकन/परिशीलन किया।

8. याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड पारित करते समय याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर सम्यक् रूप से विचार नहीं किया गया तथा उसके विरूद्ध अमुखरित एवं कारण रहित दण्डादेश पारित किया गया है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी एवं पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा याची की अपील एवं पुनरीक्षण याचिका को भी सरसरी तौर पर बिना विचार किये अस्वीकार किया गया है। अतः दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

9. विपक्षीगण की ओर से विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याची को बचाव का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप सकारण एवं मुखरित रूप से उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम–14(2) के अनुसार दण्डादेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुसार है जिसमें कोई विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। याची को पत्रावली के अवलोकन की अनुमति प्रदान की गयी थी अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

10. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि याची को दिनांक 18.08.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा यह आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस (संलग्नक–4) निर्गत की गयी है कि याची की वर्ष 2020 में मु0आ0 आर0टी0सी0 कार्यालय में नियुक्ति के दौरान दिनांक 13.03.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा पुलिस लाइन्स का वार्षिक निरीक्षण किया गया जिसके दौरान आर0टी0सी0 कार्यालय के कार्य के बारे में जानकारी की गई तो याची द्वारा जानकारी देने में असमर्थता जताई गई। याची द्वारा दिनांक 09.03.2020 के बाद जी0डी0 में रिक्रूट आरक्षियों एवं प्रशिक्षकों की

आमद नहीं करायी गयी। याची को कार्यालय कार्यो की समीक्षा न करने एवं शिथिल पर्यवेक्षण के संबध में इस प्रकरण की जांच करायी गयी जिसमें उसे दोषी पाया गया। इसके उपरान्त याची द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण (संलग्नक–5) दिनांक 31.08.2020 को प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 09.03.2020 से प्रशिक्षुओं की ड्यिूटी शांति व्यवस्था हेतु जनपद के थानों में लगायी गयी थी। इसी दौरान दिनांक 10.03.2020 एवं 12.03.2020 को सामूहिक अवकाश होने के कारण जी0डी0 का लेखन कार्य बंद रहा। अवकाश समाप्ति के बाद याची समय से आकर प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षण स्टाफ की गिनती कर रहा था। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा आर0टी0सी0 कार्यालय का निरीक्षण किया गया। याची को सूचना मिलने पर वह उसी समय महोदय के समक्ष आया और जी0डी0 लेखक मु0अ0 मोमिन अली से पूछा तो उसके द्वारा बतलाया गया कि जी0डी0 दिनांक 31.03.2020 के बाद नहीं लिखी गई है, तथा साहब के पूछने पर कुछ बता नहीं पाया। याची द्वारा यह भी कहा गया कि महोदय द्वारा दिनांक 09.03.2020 से दिनांक 13.03.2020 के मध्य इन्ट्री के संबध में कुछ नहीं पूछा गया और न ही जी0डी0 बढ़ाने के संबध में कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यदि उक्त मु0आ0 द्वारा इस बात को मेरे संज्ञान में लाया गया होता तो मेरे द्वारा तत्काल इसकी समस्या का निरीक्षण करने का प्रयास किया जाता। महोदय का निरीक्षण नोट आया तो पता चला कि उनके द्वारा मेरा स्पष्टीकरण मांगा गया है परन्तु याची को जानकारी न होने के कारण अज्ञानतावश अपना स्पष्टीकरण अलग से न देकर अनुपालन आख्या के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इसमें याची का कोई दोष नहीं है। दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश पारित करते समय याची द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लिखित उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है।

11. पत्रावली पर उपलब्ध दण्डादेश दिनांकित 16.09.2020 (संलग्नक–3) के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि याची द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.08.2020 को प्राप्त करके अपना स्पष्टीकरण दिनांक 31.08.2020 को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश के प्रस्तर–4 में मात्र यह कथन किया गया है कि **"अतः उ0नि0स0पु0 हबीब उल्ला पीएनओ 810510372 पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि होने के फलस्वरूप उसे उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के 4 (1) ख (चार) के अन्तर्गत परिनिन्दा लेख के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।"** याची द्वारा अपने

स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि दिनांक 10.03.2020 से 12.03.2020 को सामूहिक अवकाश होने के कारण जी0डी0 का लेखन कार्य बंद रहा तथा संबधित का0मु0 द्वारा उन्हें इस तथ्य से अवगत नहीं कराया कि कर्मियों की वापसी जी0डी0 में अंकित नहीं है वरना उसके द्वारा इस संबध में अवश्य कार्यवाही की जाती। इसके अतिरिक्त याची द्वारा इस संबध में क्षमा याचना भी की गई है। जबकि दण्डाधिकारी द्वारा उक्त तथ्य को संतोषजनक न पाते हुए याची को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की पूर्ण रूप से विवेचना दण्डादेश में नहीं की गयी है तथा न ही कोई अभिमत अथवा कारण बताया गया है। याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को उल्लिखित किया गया है परन्तु दण्डाधिकारी द्वारा उन तथ्यों पर विचार किये बिना मात्र याची के स्पष्टीकरण को संतोषजनक न पाये जाने के आधार पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। लेकिन याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण क्यों संतोषजनक नहीं पाया गया है तथा याची का स्पष्टीकरण किस आधार पर संतोषजनक नहीं है इस तथ्य की विवेचना दण्डादेश में नहीं की गयी है। अतः मेरे विचार से उपरोक्त आदेश सकारण एवं मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

12. याची के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह कहा है कि दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश पारित करते समय याची के उत्तर पर कोई विचार नहीं किया गया है जिस कारण प्रश्नगत दण्डादेश किसी भी रूप में मुखरित एवं सकारण आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। याची ने अपने तथ्य के समर्थन में **मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार सरकार व अन्य 2006 सुप्रीम कोर्ट केसेज (एल0एण्ड एस0) 679** की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की है जिसमे निम्नलिखित सिद्वांत प्रतिपादित किया गया हैः—

> **"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rule 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show-cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary**

authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside. "

13. मा0 उच्चतम न्यायालय ने **जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 2010 (2) एस0सी0सी, 497** में यह व्यवस्था दी है कि यदि कोई आदेश किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है तो उसे मुखरित होना चाहिये और उसमें संगत कारणों का विधिवत् उल्लेख होना चाहिये–

"That the requirement of recording reasons by every quasi judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facets of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."

14. इसी प्रकार कारण और निष्कर्ष के संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर (1973) 2 एस0सी0सी0 836** में यह विधि व्यवस्था दी गयी है किः–

"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि दण्डाधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश सकारण एवं मुखरित होना चाहिए जबकि प्रश्नगत प्रकरण में दण्डाधिकारी द्वारा याची के उत्तर पर सम्यक् रूप से विचार किये बिना अमुखरित एवं अकारण दण्डादेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

15. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना, तथ्यों, तर्कों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह स्पष्ट है कि याची को प्रदत्त परिनिन्दा संबधी दण्डादेश किसी भी प्रकार से सकारण एवं मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं पाया जाता है। पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट की निरीक्षण आख्या दिनांकित 13.03.2020 के परीक्षण से पाया गया कि मात्र याची को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उसमें याची को दण्डित किये जाने हेतु उल्लिखित नहीं किया गया है उसके बावजूद याची को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की निरीक्षण आख्या के आधार पर ही याची के विरूद्ध

प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही संस्थित की गई है और उन्हीं के द्वारा याची को दण्ड भी दिया गया है जो विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम–4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि दीर्घ शास्तियां अथवा लघु शास्तियां उपयुक्त एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर ही किसी भी पुलिस अधिकारी पर आरोपित की जा सकती हैं। किन्तु पारित दण्डादेश में उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण मेरे विचार से नहीं पाये जाते हैं। अतः पारित दण्डादेश सकारण एवं मुखरित न होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

16. अपीलीय आदेश दिनांकित 03.01.2021 (संलग्नक–2) एवं पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 19.06.2021 (संलग्नक–1) में अपीलीय अधिकारी एवं पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान न लेते हुए मात्र सरसरी तौर पर याची की अपील एवं पुनरीक्षण याचिका को अस्वीकार किया गया हैं। अतएव ऐसी स्थिति में विधिक दृष्टिकोण से इन्हें भी बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार दण्डादेश, अपीलीय आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं। तद्नुसार याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांकित 16.09.2020 (संलग्नक–1), अपीलीय आदेश दिनांकित 03.01.2021 (संलग्नक–2) एवं पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 19.06.2021 (संलग्नक–1) अपास्त किया जाता है।

वाद–व्यय पक्षकार स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(सुखलाल भारती)
सदस्य (प्रशासकीय)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(सुखलाल भारती)
सदस्य (प्रशासकीय)

दिनांकः 19 अगस्त 2026
(सौ0सि0) आशु0